



# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/110/2024

दिनांक- 08/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय— प्र.सं. 110 / 2024 अनवान गोपाल लाल पिता भवाना रेगर निवासी फत्ता का खेड़ा बुनाम छोट्ट पिता हीरा रेगर निवासी फत्ता का खेड़ा, भोलू पिता धन्ना रेगर निवासी फत्ता का खेड़ा, महावीर पिता कल्याण रेगर निवासी फत्ता का खेड़ा, कैलाश पिता कल्याण रेगर निवासी फत्ता का खेड़ा, सत्तू पिता डालू रेगर निवासी फत्ता का खेड़ा, लादू पिता गांगा रेगर निवासी फत्ता का खेड़ा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम फत्ता का खेड़ा  
प.ह. खजूरी आराजी स. 642, 643, 676, 679, 680/1 कुल कित्ता 0.75 रकबा 0.75 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षी  
की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक ~~अभिलेख~~ को खजूरी नियुक्त  
किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा  
करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष  
के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये  
नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं।  
पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा